बा अदालत उप समाहर्ता भूमि सुधार, रंका

केस का प्रकार :– राजस्व विविध वाद सं0 :– 06 / 2019–20

विफनी देवी बनाम् जिरजोधन सिंह वगैरह

दिनांक	पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश	अभ्युक्ति
14/03/2020	**आदेश** उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। वर्तमान वाद आवेदिका श्रीमति विफनी देवी द्वारा ग्राम बेता खाता सं0– 16 के भूमि पर उनके ही नाम से मालगुजारी रसीद निर्गत करने हेतु किया गया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। प्रथम पक्ष के विद्वान का कहना है कि विफनी देवी पति छठन सिंह हाल सर्वे खतियानी रैयत खिरोधर सिंह की एक मात्र संतान है। खिरोधर सिंह का खाता सं0– 16 कुल भूमि 26.8 ए0 में से 13.04 ए0 का हिस्सा होता है। जिस पर उनका अभी भी दखल कब्जा है। विफनी देवी, खिरोधर सिंह की अकेली संतान है तथा कानूनन वारिशान है। आवेदिका को द्वितीय पक्ष परेशान कर रहे है तथा द्वितीय पक्ष अंचल कार्यालय के सहयोग से परेशान कर रहे है। जिसका उदाहरण है कि आवेदिका अपनी भूमि की मापी करवाना चाहते है तथा पदाधिकारी के आदेश के बाद 8000.00 रूपये जमा कर चुके है परन्तु मापी का कार्य नही होने दिया जा रहा है। अंचल कार्यालय ने ऑन लाईन सुधार हेतु आवेदन देने पर अंचल अधिकारी, चिनियाँ द्वारा बताया गया है कि अनुमण्डल स्तर से अनुमति प्राप्त होने पर ही नामांतरण किया जायेगा। अंत में अनुरोध करते है कि ऑन लाईन सुधार करने की कृपा की जाय। द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदिका विफनी देवी, खिरोधर सिंह की त्याग की हुई पुत्री है तथा उसके पिता द्वारा अपनी भूमि को बेचने हेतु षडयंत्र किया जाता है। जिसके तहत यह भूमि बेचना चाहती है जबकि खिरोधर सिंह ने अपनी सारी भूमि विपक्षी जिरजोधन सिंह के नाम कर दिया है। अतः उनके नाम से नामांतरण का आदेश देना नियमानुसार सही नही है। अंत में अनुरोध करते है कि आवेदन को खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्रीमति विफनी देवी पति छठन सिंह खाता सं0– 16 के खतियानी रैयत खिरोधर सिंह की पुत्री है। खतियान के अनुसार उक्त खाता 16 के कुल 41 प्लॉट की में संलग्न खतियानी भूमि का कुल रकबा 26.08 ए0 खतियान के अनुसार है। खिरोधर सिंह पिता पुरन सिंह मांझी एक अंश, जाति खरवार निवासी–निवासी नीज ग्राम पत्रालय रंका वो लेदा सिंह वो प्रभु सिंह वो	

जोखु सिंह वो विगन सिंह पिता भुज सिंह एक अंश समान, जाति–खरवार, निवासी–निवासी निज ग्राम पत्रालय रंका खतियान में रैयत का नाम कॉलम में अंकित है। द्वितीय पक्ष द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह ज्ञात हो सके कि विफनी देवी, खिरोधर सिंह की पुत्री नही है। ऐसा कोई नियम भी प्रस्तुत नही किया गया जिससे विफनी देवी के उतराधिकार पर प्रश्नचिन्ह लगता हो। अंचल कार्यालय, चिनियॉ को उतराधिकार के आधार पर खाता में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। उक्त के आलोक में अंचल अधिकारी, चिनियॉ को निदेश दिया जाता है कि श्रीमति विफनी देवी के नाम से विहित प्रकिया अपनाकर नामांतरण की कार्रवाई करें। ताकि श्रीमति विफनी देवी के नाम से उक्त खाता की कुल भूमि का आधी हिस्सा की भूमि कुल रकबा 13.04 ए0 का नामांतरण किया जाय।

14/3/2020

14/3/20

उप समाहर्ता भूमि सुधार,

रंका।

Digitally signed by PARMESH KUSHWAHA
Date: 2023.12.02 13:46:32 +05:30
Location: 192.168.223.152